

भवन निर्माण अनुज्ञा

क्रमांक 113

दिनांक 6/4/16

शिवशक्ति रियल होम प्रा0. लि0.
501-503, डायमण्ड टावर,
अजमेर रोड, जयपुर।

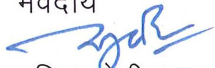
विषय: भवन अनुज्ञा रीको भू-निपटान नियम, 1979 के अन्तर्गत।

महोदय,

आपका प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.04.2016 के संदर्भ में भवन निर्माण/ पुनः निर्माण या महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिये जो प्रस्ताव भूखण्ड संख्या सीपी-1 औद्योगिक क्षेत्र एन.आई.सी.(एम) नीमराना जिला अलवर के लिए प्रस्तुत किए गये थे, उनकी स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी गई है-

1. नीमराना की आबादी 1 लाख से कम है। अतः यहा स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक भूखण्डों के लिये मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र, भवन) विनियम, 2010 (संशोधित) (1 लाख से कम आबादी के शहरों के लिये) लागू है एवं तदनुसार ही मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।
2. भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जावेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो वह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, रीको को अधिकार होगा कि किसी भी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गई अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा रीको में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. उक्त स्वीकृति के कारण यदि रीको को किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी के साथ किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति का पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
5. दरवाजे एवं खिड़कियां इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं होंगे।
6. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई सम्बन्धित शर्त या पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।
7. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृति उपयोग अनुसार (व्यवसायिक) ही उपयोग में लेगा।
8. भूखण्ड में एसटीपी का प्रावधान करना होगा, निगम की नालियों में किसी प्रकार के पानी का निस्तारण नहीं करना होगा तथा ठोस कचरे का निस्तारण अपने स्तर पर करना होगा।
9. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके सम्बन्ध में सूचना रीको को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में रीको को देनी होगी।
10. भूखण्ड पर मानद एफएआर का कम से कम 20 प्रतिशत निर्माण पूर्ण कर वर्षा जल संरक्षण संरचना एवं अन्य आवश्यक प्रावधान करते हुये दिनांक 18.10.2018 तक व्यवसायिक गतिविधि शुरू करनी होगी।

भवदीय



वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक

संलग्न: स्वीकृत मानचित्र का एक सैट।